कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति
शासकीय महाविद्यालय– शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 4252 दिनांक 30-12-2022

प्रति,

कु. अंजु कैनवार
पिता श्री सुखदेव सिंह
बी–64 जसूजा सिटी फेस–3 जसूजा टावर के पीछे
धनवंतरी नगर जबलपुर
मो न 9669022844

विषय – अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया 2022–2023 के संबंध मे आमंत्रण पत्र विषयक ।

संदर्भ – आपका आवेदन कमांक 21038327 Date – 30/12/2022

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर मे **गृहविज्ञान (आहार एवं पोषण)** विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप मे आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2022–2023 मे अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय मे उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा : –

1. आपको प्रतिदिविस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानो द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेजे आदि मे भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार मे वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक **17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार** होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 अर्थात 30 जून 2023 तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय मे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्वशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत् न होने के संबध में श्पथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय मे दिनांक **30 दिसम्बर से 03–01–2023** तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय मे उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश क्रमांक एफ 1–42/2017/38–1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 मे वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

सचिव,
जनभागीदारी समिति
PRINCIPAL
Govt. M.H. College of H. Sc. for Women, Jab.

दिनांक 30-12-2022

क्रमांक 4253
प्रतिलिपि

3. क्षेत्रीय अति संचा उशि. जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालयीन प्रति।

सचिव,
जनभागीदारी समिति
PRINCIPAL
Govt. M.H. College of Home Sc. Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)

Scanned with ACE Scanner

कार्यालय प्राचार्य
शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

क्र 2116 /स्था/19 जबलपुर दिनांक 7-12-19

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 1–53/2019/38/1 भोपाल दिनांक 06.12.2019 के अनुसार कमांक 09 मे अंकित लो.से.आ की चयन सूची का कमांक/चयन सूची का वर्ष 10/2019 आदेश के बिंदु कमांक 03 एवं 04 की प्रत्याशा में गृहविज्ञान के पद पर प्रारंभिक वेतन रू 57,700/– के साथ अकादामिक स्तर 10 में श्रीमती अपूर्वा सोनी शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में गृहविज्ञान के रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर आज दिनांक 07.12.2019 पूर्वान्ह मे कार्यभार ग्रहण किया।

प्राचार्य
प्राचार्य
शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

क्र 2117 /स्था/19 जबलपुर दिनांक

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
2. निज सचिव, प्रमुख्य सचिव, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
4. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
5. आयुक्त उ.शि. संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविंददास चिकित्सालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अति. सचा. उशि. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र
8. कोषालय अधिकारी ,नगर कोषालय, जबलपुर म.प्र।
9. श्रीमती अपूर्वा सोनी, सहा प्रा. गृहविज्ञान को सूचनार्थ।
10. स्थापना राजपत्रित/लेखापाल

प्राचार्य
प्राचार्य

Scanned with ACE Scanner

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 53 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एक(1) द्वारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक गृह विज्ञान विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु० 700-40-1100-50-1300-अतेलमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0 76. कु0 अर्चना गुप्ता आत्मजा श्री के0के0 गुप्ता (शासकीय मो0ह0महिला गृह वि0 महाविद्यालय, जबलपुर)	8-10-1961	शासकीय मो0ह0महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर Verified Principal, Govt. M. H. College of H. Sc. For Women, Jabalpur. 1/5/87

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

2024/12/17 10:04

H.C. / कु.

कमला नेहरू महिला महा.(वि.प्र.) आवक क्र. 1989 दि. 17-3-87

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक -4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/53 /87/ब-1/38 – मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ब-6-30-86-एक(1) द्वारा म०प्र० राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक ——————— गृह विज्ञान ——————— विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रू० 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा० 73: श्रीमती आशा चान्सोरिया ...नी श्री अनिरुद्ध कुमार तिवारी (...य के०एन०महिला महा० दमोह)	31-8-1962	शासकीय के०एन०महिला महाविद्यालय, दमोह

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं ...पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी ।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख ...से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा ...जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए ...गए हैं ।

// कार्यालय- प्राचार्य- शासकीय कमला नेहरु महिला महाविद्यालय दमोह //

// आदेश // दमोह, दिनांक 29/10/84.

क्रमांक 392

कार्यालय, सचिव, संभागीय तदर्थ व्याख्याता चयन समिति, सागर, के पत्र क्रमांक 903 सागर दिनांक 26 अक्टूबर 84 के अनुसार डा० आभा चन्दसोरिया को रिक्त पद पर वेतनमान रुपये 700-1600 पर दिनांक 1/11/84 से या पद भार ग्रहण करने की तिथि 6 माह के लिये अस्थायी/तदर्थ रुप से व्याख्याता :- गृहविज्ञान के पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है । आपको इस अवधि में 700/- रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन एवं शासन द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते दिये जायेंगे ।

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई तदर्थ होगी । किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा शासन द्वारा नियमित व्याख्याता की नियुक्ति होने पर अथवा अवकाश टीचर फैलोशिप से वापिस आने पर अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो के लिये होगी । तथा इनमें में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के स्वयमेव समाप्त हो जायेंगी । आपको आदेश प्राप्त होने के (तीन दिन) के अंदर पदभार ग्रहण करना होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त हो जायेंगी ।

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. Kamla Nehru Mahila Mahavidyala
DAMOH

पृष्ठांकन क्रमांक/ /84 दमोह, दिनांक 29/10/84.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1/- श्री डॉ० एम०जी०नैने, अतिरिक्त संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन पाचवीं मंजिल भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित.

2/- श्री डॉ० ओ०एन०माथुर सचिव, संभागीय तदर्थ व्याख्याता चयन समिति सागर को जानकारी हेतु प्रेषित.

3/- महालेखाकार म०प्र० ग्वालियर.

4/- कोषालय अधिकारी दमोह.

5/- लेखापाल- शासकीय कमला नेहरु महिला महाविद्यालय दमोह.

6/- डा० आभा चन्दसोरिया, ~~[illegible]~~ W/o श्री ए०के०तिवारी, 313, कस्तूरबा नगर पोस्ट आफिस के सामने कांचघर जबलपुर (म०प्र०) आवेदक को सूचनार्थ.

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. Kamla Nehru Mahila Mahavidyala
DAMOH

2024/12/17 10:03

4- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।

5- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(जी०पी०तिवारी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

क्रमांक एफ 1/ 53 /87/स-1/38, भोपाल, दिनांक -4 MAR 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (10 प्रतियों में)
3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने से पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

(पी०एस०मरहास)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

प्रति,

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय ब्यौहारी

जिला - शहडोल

विषय:- कार्य भार ग्रहण प्रतिवेदन

संदर्भ:- म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश
क्रमांक 3679/3259/38-1/89
भोपाल दिनांक 8.11.89

आदरणीय महोदय,

म. प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के उपर्युक्त संदर्भांकित आदेश के अनुपालन में मैं आज दिनांक 23/11/89 को पूर्वान्ह में शासकीय महाविद्यालय ब्यौहारी में सहायक प्राध्यापक का पद भार ग्रहण करती हूँ।

दिनांक
23/11/89

भवदीया
B.Sharma
(श्रीमती भावना शर्मा)

Recd. one copy
23/11/89
HC

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/172/93/स-1/38 (गृह विज्ञान) म0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक गृहविज्ञान के पद पर वेतनमान रू0 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है ।

क्र0	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहां पदस्थ किया जाता है ।
1.	2.	3.
	गृह प्रबंध	
1.	कु0मेहरुन्निसा आत्मजा श्री इन्तिजाम उद्दीन रिटायर्ड ए0डी0एम0 29 कमरी मार्ग गोपाल मंदिर छत्रीचौक उज्जैन	शा0महा0खण्डवा ।
2.	कु0 कालिका व्यास द्वारा श्री एस0डी0व्यास शनिचरा मोरसली चौक होशंगाबाद	शा0महा0(कन्या) छिंदवाड़ा ।
3.	कु0नमिता अग्रवाल आत्मजा प्रो0एस0एस0अग्रवाल 39, मोतीलाल नेहरू नगर उज्जैन	शा0कन्या महा0 उज्जैन (प्राध्यापक पद के विरुद्ध)
4.	श्रीमती चरणजीत कौर (आनंद शर्मा) 46, सी0जवाहर नगर लश्कर ग्वालियर ।	शा0के0आर0जी0महा0ग्वालियर ।
5.	कु0 ज्योति जैन द्वारा श्री धन्नालाल जी जैन जैन होजरी हाऊस मेनरोड़ कटनी	शा0कन्या महा0कटनी (जबलपुर) ।
6.	कु0 रंजू गुप्ता 57 संजय स्मिता विवेकानंद कालोनी उज्जैन ।	शा0आगर मालवा शाजापुर ।
7.	कु0 रेखा शर्मा द्वारा श्री देवेन्द्र द्विवेदी मोगरे बिल्डिंग फ्रीगंज उज्जैन	शा0कन्या महा0(नीमच) ।

......2

पृ0क्र0 एफ-1/172/93/ए-1/38 (गृह विभाग) भोपाल, दिनांक 15 सितंबर, 93

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 भोपाल ।
3. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर ।
4. निज सचिव, सलाहकार (एम0एन)
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 ।
6. संबंधित प्राचार्य, शा0 महा0 म0प्र0 ।
7. संबंधित गण ।

उप सचिव,
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी.......

Seen
19.10.93

Principal
Govt. Girls College
Katni (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य
शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

क्र 2118 /स्था/19 जबलपुर दिनांक 7-12-19

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 1-53/2019/38/1 भोपाल दिनांक 06.12.2019 के अनुसार कमांक 19 मे अंकित लो.से.आ की चयन सूची का कमांक/चयन सूची का वर्ष 20/2019 आदेश के बिंदु कमांक 03 एवं 04 की प्रत्याशा में गृहविज्ञान के पद पर प्रारंभिक वेतन रू 57,700/- के साथ अकादामिक स्तर 10 में डॉ श्रीमती मनीषा आर्य शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में गृहविज्ञान के रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर आज दिनांक 07.12.2019 पूर्वान्ह मे कार्यभार ग्रहण किया।

प्राचार्य

क्र 2119 /स्था/19 जबलपुर दिनांक 7-12-2019

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
2. निज सचिव, प्रमुख्य सचिव, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
4. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
5. आयुक्त उ.शि. संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविंददास चिकित्सालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अति. सचा. उशि. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र
8. कोषालय अधिकारी ,नगर कोषालय, जबलपुर म.प्र।
9. डॉ श्रीमती मनीषा आर्य, सहा प्रा. गृहविज्ञान को सूचनार्थ।
10. स्थापना राजपत्रित/लेखापाल

प्राचार्य

कार्यालय प्राचार्य
शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

क्र 2131 /स्था/19 जबलपुर दिनांक 9-12-19

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 1–53/2019/38/1 भोपाल दिनांक 06.12.2019 के अनुसार कमांक 24 मे अंकित लो.से.आ की चयन सूची का कमांक/चयन सूची का वर्ष 16/2019 आदेश के बिंदु कमांक 03 एवं 04 की प्रत्याशा में गृहविज्ञान के पद पर प्रारंभिक वेतन रू 57,700/– के साथ अकादामिक स्तर 10 में **कु मंजू बरखाने** शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में गृहविज्ञान के रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर आज दिनांक 09.12.2019 पूर्वान्ह मे कार्यभार ग्रहण किया।

PRINCIPAL
Govt. M.H. College of Home Sc. & Sc. for Women, Jabalpur (MP)
प्राचार्य

क्र 2132 /स्था/19 जबलपुर दिनांक

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
2. निज सचिव, प्रमुख्य सचिव, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
4. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
5. आयुक्त उ.शि. संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविंददास चिकित्सालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अति. सचा. उशि. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र
8. कोषालय अधिकारी ,नगर कोषालय, जबलपुर म.प्र।
9. **कु मंजू बरखाने,** सहा प्रा. गृहविज्ञान को सूचनार्थ।
10. स्थापना राजपत्रित/लेखापाल

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. M.H. College of Home Sc. & Sc. for Women, Jabalpur (MP)

कार्यालय प्रधानाचार्य

मोहनलाल हरगोविंददास महिला गृहविज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर म०प्र०

क्रमांक 2665/स्था०/८४ जबलपुर दिनांक ६-११-८४

आदेश

मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक ए-१/८३/३८/६-४/२० दिनांक ४-९-८४ में निहित निर्देशों के अंतर्गत श्रीमती नंदिता सरकार, पति श्री [illegible] सरकार को व्याख्याता गृहविज्ञान के पद पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर रुपये ७००-१६००/- के न्यूनतम वेतन रु० ७००/- पर तदर्थ व्याख्याता पद पर नियुक्त किया जाता है।

२- यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यह अस्थाई नियुक्ति ६ माह अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रत्याशी के पदांकन किये जाने अथवा स्थानांतरण के फलस्वरूप पदभार ग्रहण किये जाने अथवा शासन के अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो समाप्त हो जावेगी। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

३- नियुक्त व्यक्ति को अपना पद भार ग्रहण करते समय अपने उन सभी मूल प्रमाणपत्रों का जिनका उल्लेख उन्होंने अपने आवेदनपत्र में किया है, मौलिक सत्यापन हेतु प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

सही

प्रधानाचार्य,
मो०ह०महिला गृहविज्ञान महाविद्यालय,
जबलपुर

पृ०क्रमांक 2665/स्था०/८४ जबलपुर दिनांक ६-११-८४

प्रतिलिपि :-

१) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
२) अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
३) आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा म०प्र० सतपुड़ा भवन, पांचवीं मंजिल, भोपाल।
४- श्रीमती नंदिता सरकार, व्याख्याता गृहविज्ञान।
आपको अपना पदभार दिनांक १-११-८४ पूर्वान्ह तक अवश्य ग्रहण कर लेना है, अन्यथा आपकी नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा। नियुक्त स्थान में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। इस दिशा में किये गये प्रयासों का नियुक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
५- अतिरिक्त संचालक(३), महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, पांचवीं मंजिल, भोपाल।
६- लेखा विभाग।
७- अन्य

प्रधानाचार्य,
मो०ह०महिला गृहविज्ञान महा
जबलपुर

पृष्टा:-

(15)

प्रपत्र-४ प्रथम चरण हेतु अतिथि विद्वानों के आमंत्रण बावत प्रारूप (विषय हेतु)

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय: शा. मा. कु. ... गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर

First Round

क्रमांक: 1762

दिनांक: 16.9.16

प्रति,

नाम: डॉ. प्रभा द्विवेदी

पिता/पति: श्री अखिल द्विवेदी

पता: 76 Phase II Science City
Karnwada Sabalpur

विषय : आपके ऑनलाइन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि व्याख्यान हेतु आमंत्रण की सूचना : प्रथम चरण।

सन्दर्भ : आपका आवेदन क्रमांक 106016 दिनांक 15/9/16

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय में गृहविज्ञान विषय पर व्याख्यान देने हेतु सहमति प्राप्त हुई है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2016-17 में अतिथि व्याख्यान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह कि आपको 45-55 मिनट के एक कालखंड के व्याख्यान के लिए रुपए **275/-** तथा एक कार्य दिवस हेतु अधिकतम मानदेय रुपए **825/-** देय होगा। एक कार्यदिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान तक आपको आवंटित किये जा सकते हैं।
2. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए ही सीमित होगा। आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
3. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
4. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों द्वारा पुनः सत्यापन कराना होगा।
5. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रों एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 15 से 17 सितम्बर, 2016 सायं 05:00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थिति देकर कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।

विशेष-टीप: प्रथम चरण आवंटन में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय चरण के लिए महाविद्यालयों का विकल्प दिनांक **19 सितम्बर 2016 से 20 सितम्बर, 2016** तक प्रस्तुत किया जावेगा।

K. Singh

सचिव
जनभागीदारी समिति,

पृ० क्रमांक 1763
प्रतिलिपि:

दिनांक: 16.9.16

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ... संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति

Shrivastava

सचिव प्राचार्य
जनभागीदारी समिति
शा. मा. कु. गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

प्रति,

प्राचार्य

शास मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला

महाविद्यालय जबलपुर म.प्र.

विषय– रिक्त पद के विरूद्ध गृह विज्ञान में अतिथि पद में कार्यभार ग्रहण करने बाबद।

संदर्भ– कमांक 49/171/आउशि/आईटी/2023 भोपाल दिनांक 29/03/2023

महोदया जी,

सदंर्भित पत्र के अनुसार मेरा चयन अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया सत्र 2022–23 के तहत गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत शास मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. में रिक्त गृहविज्ञान विषय में चयन हुआ है।

आपके संदर्भित पत्र कमांक 628 दिनांक 31/03/2023 के पालन में आज दिनांक 31/03/2023 पूर्वान्ह गृहविज्ञान विषय के रिक्त पद विरूद्ध कार्य पद उपस्थित हो गई हूँ कृपया कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

धन्यवाद

जबलपुर

दिनांक 31/03/2023

भवदीया

RAgrawal

डॉ. रचना अग्रवाल

अतिथि विद्वान

गृह विज्ञान

Received

31-3-2023

Despatcher

Govt. M.H. College of Home Sc. & Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य
शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

आदेश

क्र 2127 /स्था/19 जबलपुर दिनांक 5-12-19

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 1–53/2019/38/1 भोपाल दिनांक 06.12.2019 के अनुसार कमांक 10 मे अंकित लो.से.आ की चयन सूची का कमांक/चयन सूची का वर्ष 11/2019 आदेश के बिंदु कमांक 03 एवं 04 की प्रत्याशा में गृहविज्ञान के पद पर प्रारंभिक वेतन रू 57,700/– के साथ अकादामिक स्तर 10 में डॉ रीना भैरम, शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में गृहविज्ञान के रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर आज दिनांक 09.12.2019 पूर्वान्ह मे कार्यभार ग्रहण किया।

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. M. H. College of Home Sc. & Sc. for Women, Jabalpur (MP)

क्र 2128 /स्था/19 जबलपुर दिनांक

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
2. निज सचिव, प्रमुख्य सचिव, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
4. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
5. आयुक्त उ.शि. संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविंददास चिकित्सालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अति. सचा. उशि. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र
8. कोषालय अधिकारी ,नगर कोषालय, जबलपुर म.प्र।
9. डॉ रीना भैरम, सहा प्रा. गृहविज्ञान को सूचनार्थ।
10. स्थापना राजपत्रित/लेखापाल

प्राचार्य
PRINCIPAL
Govt. M.H. College of Home Sc. & Sc. for Women, Jabalpur (MP)

Self Attested
Reena

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनाँक 8 /11/1989.

क्रमाँक 3679/3259/38-1/89. संलग्न परिशिष्ट में अंकित विषय/विषयों के प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्च शिक्षा) में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक रुपये 2200-75-2800-100-4000 के यू0जी0सी0 वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनाँक से निम्न शर्तों के आधीन नियुक्त किया जाता है, तथा उनका पदाकंन उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का [illegible] अथवा उसके बदले में एक माह का वेतन दिया जा कर समाप्त की जा सकती है।

3- आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही म0प्र0लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नही पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4- नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण करना है।

5- नियुक्त प्रत्याशी द्वारा कोई जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

6- नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7- पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता (यदि कहीं सेवा में है, तो) द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.माथुर) 8.11.89
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

....2,,

1	2	3	4
14.	श्री रमेश माण्डवी (एस०टी०)	ग्राम करही, जलाशय पोस्ट भाटापारा, जिला रायपुर	शासकीय महाविद्यालय, सांझा (दुर्ग)
15.	कु० सरिता मरावी (एस०टी०)	गवर्मेंट कन्या स्कूल डिन्डोरी (मण्डला)	शासकीय महाविद्यालय, लोधीखेड़ा (छिन्दवाड़ा)
16.	कु० वेला सिंगार (एस०टी०)	143 श्रीनगर मेन, इन्दौर	शासकीय कन्या महाविद्यालय, खण्डवा

17:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:/:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

विषय :- गृह-विज्ञान

1.	मोनी भार्गव	4 सिविल लाईन, रीवा	शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीधी
2.	श्रीमती नम्रता शर्मा	22 शंकर बाग मरीमाता चौराहा के पास, इन्दौर -452006	शासकीय महाविद्यालय, खरगौन
3.	श्रीमती स्मिता पाठक	द्वारा-ए.के.पाठक एडवोकेट, 630 ब्यौहारबाग जबलपुर	शासकीय महाविद्यालय, दमोह
4.	कु० स्मिता पाण्डे	द्वारा-प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा बाजार (रायपुर)
5.	कु० रत्ना मालवीया	10/80, हनुमानताल सिटी कोतवाली के पीछे जबलपुर	शासकीय कन्या महाविद्यालय, छतरपुर
6.	कु० नूतन राठौर	द्वारा-श्री बी.के. राठौर 432 शक्तिनगर, जबलपुर	शासकीय कन्या महाविद्यालय, टीकमगढ़
7.	कु० रेणु वर्मा	द्वारा-राजेश वर्मा, जी.94 एग्रीकल्चर कालौनी, आधारताल, जबलपुर-4	शासकीय महाविद्यालय, कुंठपुर (सरगुजा)
8.	कु० क्षिप्रा पाण्डे	सी.13 हाउसिंग बोर्ड कालोनी शंकरनगर, रायपुर -492007	शासकीय महाविद्यालय, धरसीवां (रायपुर)
9.	कु० अल्पना मेहता	द्वारा-एन.पी. आटोमोबाईल्स के.के. रोड मोदापारा, रायपुर	शासकीय महाविद्यालय, डौंडी (दुर्ग)

निरन्तर ----

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक [illegible], 1987.

क्रमांक [illegible] - [illegible]

[illegible]	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
[illegible] [illegible] [illegible] (शासकीय महाविद्यालय, [illegible])	23-[illegible]-1939	शासकीय महाविद्यालय, [illegible]

2- उपर्युक्त नियुक्ति [illegible]

3- उपर्युक्त [illegible]

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

<u>आदेश</u>

भोपाल, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एफ 1/ 53 /87/ए-1/38 - मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम (1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक गृहविज्ञान विषय के सहा. [illegible] प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन [illegible] 700-[illegible] 1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके [illegible] महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	[illegible] जहाँ पदांकित [illegible] है
स0 79. कुमारी मधुलिका वर्मा आ0 श्री आर0एम0 वर्मा 15 JUN 1987 (शासकीय मो0ह0गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर)	28-2-1961	शासकीय मो0ह0गृहविज्ञान महिला महाविद्यालय, जबलपुर Verified. Principal, Govt. M. H. College of H. Sc. For Women, Jabalpur. 30/6/87

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन; समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

आदेश की एक प्रति
प्राप्त की

30/6/87

Electronic Certificate No.: 121022997

University Grants Commission

NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU

ज्ञान-विज्ञानं विमुक्तये

NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR LECTURESHIP

UGC Ref. No.: 22997/(NET-JUNE 2012)   Roll No.: 53120030

Certified that **MADHURI RAMTEKE**

Son/Daughter of **OMKAR DAS**

and **DAMYANTI** has qualified

the UGC-NET for eligibility for lectureship held on **24-06-2012**

in the Subject **HOME SCIENCE**

The date of qualifying NET is **18th September, 2012** , which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the UGC by the employer through **www.ugcnetonline.in.** This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Self attested

Date of Issue: 14-01-2013

Head
NET Bureau

Note: a) UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the Commission is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET within two years from the date of declaration of UGC-NET result.

b) Wherever PWD is shown in the UGC Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

कार्यालय प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय– शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक 123 दिनांक 8.7.24

प्रति

डॉ महिमा बैरागी

विषय – अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया 2024–2025 के संबंध मे आमंत्रण पत्र विषयक

संदर्भ – 1 उच्च शिक्षा विभाग म.प्र शासन मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल का पत्र क एफ 1/1/201/2023/38–1 भोपल दि 05.10.2023

2 कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुडा भवन भोपाल का पत्र. क 147/82/आउशि/अ.वि/24 भोपाल दि 03.07.24

Home Science

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है आपको शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर मे गृहविज्ञान विषय हेतु अतिथि विद्वान के रूप मे आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि, आपको शैक्षणिक सत्र 2024–2025 मे अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय मे उपस्थित होना होगा।

यह आमंत्रण पत्र निम्न शर्तो के अध्याधीन होगा : –

1. आपको प्रतिदिवित्त न्यूनतम 6 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानो द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण कार्य किया जाना अनिवार्य होगा. इसके अतिरिक्त टयूटोरियल, रेमेडियल क्लासेजे आदि मे भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार मे वृद्धि भी की जा सकती है।
2. उच्च शिक्षा विभाग म.प्र शासन मंत्रालय वल्लभभवन भोपाल का पत्र क एफ 1/1/201/2023/38–1 भोपल दि 05.10.2023 के कंडिका क 6.1 निति निर्देश के **अनुसार** मानदेय देय होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2024–25 अर्थात **30 जून 2025** तक के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय मे अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत् न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय मे दिनांक **09–07–2024** तक महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय मे उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन को आदेश कमांक एफ 1–42/2017/38–1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 एवं एफ/1/1/201/2023/38–1 भोपाल दिनाक 05–10–2023 मे वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रकिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

प्राचार्य

प्राचार्य
शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक 124/

प्रतिलिपि

दिनांक 8.7.24

1. क्षेत्रीय अति संचा उशि. जबलपुर संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

प्राचार्य

प्राचार्य
शास. मो. ह. गृहविज्ञान एवं विज्ञान
महिला महाविद्यालय, जबलपुर

Scanned with OKEN Scanner

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक -4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एफ 1/53 /87/ए-1/38 – मध्यप्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-6-30-86-एम (1) द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक गृह विज्ञान विषय के सहायक प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में रु0 700-40-1100-50-1300-असेसमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
सा0		
51. कु0 विश्व शांति तिवारी आत्मजा श्री ओ0एन0 तिवारी (शासकीय कन्या महाविद्यालय, टीकमगढ़)	27-8-1960	शासकीय कन्या महाविद्यालय, टीकमगढ़

2– उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3– उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्राचार्य
शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय
जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर दिनांक 7-12-19

क्र 2114 /स्था/19

आदेश

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश कमांक एफ 1–53/2019/38/1 भोपाल दिनांक 06.12.2019 के अनुसार कमांक 38 मे अंकित लो.से.आ की चयन सूची का कमांक/चयन सूची का वर्ष 39/2019 आदेश के बिंदु कमांक 03 एवं 04 की प्रत्याशा में गृहविज्ञान के पद पर प्रारंभिक वेतन रू 57,700/– के साथ अकादामिक स्तर 10 में कु श्रुति सिंह शास. मो.ह.गृहविज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर में गृहविज्ञान के रिक्त सहायक प्राध्यापक के पद पर आज दिनांक 07.12.2019 पूर्वान्ह मे कार्यभार ग्रहण किया।

प्राचार्य

क्र 2115 /स्था/19

जबलपुर दिनांक 7-12-2019

प्रतिलिपि

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
2. निज सचिव, प्रमुख्य सचिव, म.प्र शासन उच्च शिक्षा विभाग।
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
4. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर
5. आयुक्त उ.शि. संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सेठ गोविंददास चिकित्सालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. अति. सचा. उशि. क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र
8. कोषालय अधिकारी ,नगर कोषालय, जबलपुर म.प्र।
9. श्रीमती श्रुति सिंह सहा प्रा. गृहविज्ञान को सूचनार्थ।
10. स्थापना राजपत्रित/लेखापाल

प्राचार्य

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/02/2020

क्रमांक एफ 1-53/2019/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को **गृह विज्ञान विषय** के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू. 57,700/- के साथ अकादमिक स्तर 10 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थापना देते हुए अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	लो.से.आ. की चयन सूची का क्रमांक/ चयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
1	8/2019	विभा श्रीपाल, कमरा नंबर 2294/29, बजरंग नगर, झंडा चौक, पीओ-वीएफजे, रांझी, जबलपुर, मध्यप्रदेश। 482009	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, जिला रीवा

2. मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार ये नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

4. उपर्युक्त नियुक्ति मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडीकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

5. अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।

6. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार राज्य शासन के सेवक होंगे तथा ये राज्य-शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे एवं इनका पालन करना इनके लिए अनिवार्य होगा। विशेषतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएँ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अध्यधीन होंगी।

7. वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगा, नियुक्त उम्मीदवारों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की पात्रता होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2.4.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होगा।

8. यदि किसी उम्मीदवार ने राज्य सरकार के किसी अन्य शासकीय विभाग में वर्ष 2005 के पूर्व से सेवारत रहते हुए इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त की है तथा उच्च शिक्षा विभाग की सेवा में वह कार्यभार ग्रहण करता है तो पूर्व विभाग की सेवा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976